<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27 / 2026 दायर दिनांकः 27.01.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रोडू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
2. गोरधन पुत्र नाराण जाति मेघवाल नि. सनोरिया
3. भैरू पुत्र नाराण जाति जाति मेघवाल नि. सनोरिया
4. ममताबाई पुत्री रोडू जाति मेघवाल नि. सनोरिया
5. राधेश्याम पुत्र नाराण जाति मेघवाल नि. सनोरिया
6. रामकला पुत्री नाराण जाति मेघवाल नि. सनोरिया
7. विधाबाई पुत्री रोडू जाति मेघवाल नि. सनोरिया

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थी : — पैरोकार सरकार

अप्रार्थीगण :— एकतरफा

<u>आदेश</u> दिनांक : 24.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि सेटलमेंट सम्वत् 2022—41 में तहसील सुनेल के ग्राम सनोरिया पटवार हल्का बोलिया बुजुर्ग आराजी खाता सं. 250 / 194, खसरा सं. 217 रकबा 0.0379 हैक्ट. में अप्रार्थी नारान वल्द किशना जाति चमार सा देह जेली के रूप में भू प्रबंध वि[illegible] द्वा[illegible] दर्ज किया गया हैं। यह कि सेटलमेंट सम्वत 2022—41 में हाल खसरा सं. 217 के गत खसरा सं. 162 / 487 दर्ज था, जो सेटलमेंट सम्वत् 2003 में [illegible]बुजा सरकार दर्ज था

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

यह कि अप्रार्थी नारान वल्द किशना फौत हो जाने पर जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में नामान्तरण स. 671 से वारिसान गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। रोडू पुत्र नाराण फौत होने से नामान्तरण सं. 1063 से वारिसान दर्ज हैं। उक्त भूमि पर गैर खातेदार कब्जा काश्त नहीं हैं। अन्य द्वारा काश्त किया जा रहा हैं। वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 217 रकबा 0.0379 हेक्ट. जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 में खाता सरकार दर्ज थी। लेकिन सेटलमेंट कार्य के दौरान सेटलमेंट विभाग के कार्मिकों द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्ठियों में परिवर्तन कर खाता सरकार से अप्रार्थी नारान वल्द किशना जाति चमार सा देह जेली के रूप में दर्ज कर दी। जबकि सेटलमेंट विभाग को इसका कोई अधिकार नहीं हैं। अतः निवेदन हैं कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्ठि में की गई त्रुटि को 4/5 136 एल आर एक्ट दुरूस्त कर पुनः खाता सरकार दर्ज किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 13.03.2026 से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम सनोरिया की सं. 2022–41 की जमाबंदी खाता सं. 71, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 250, खसरा गिरदावरी सं. 2081, खसरा नक्शा दिनांक 21.04.2025, खसरा मौजा सेटलमेंट डिपार्टमेंट नकल पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार ने लिखित बहस पेश की। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सनोरिया के ख.नं. 217 रकबा 0.0379 है. भूमि जमाबंदी सं. 2018–21 में खाता सरकार दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट के दौरान [illegible] विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकार्ड [illegible] अप्रार्थी के नाम जैली के रूप में दर्ज कर दी और बाद [illegible] द्वारा गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कानूनी रूप से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। उक्त गैरखातेदार द्वारा किसी प्रकार का आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है एवं जिला रिकार्ड रूम से भी किसी प्रकार का आवंटन दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। गैरखातेदार अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं है जो कि आवंटन शर्तो के प्रतिकूल है। वादग्रस्त भूमी पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। अतः गैरखातेदारी से खाता सरकार दर्ज किया जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पासे अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6. पैराकार सरकार की एकतरफा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सनोरिया तहसील सूनेल की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी संवत् 2022 से 41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा न0 317 रकबा 3 बिस्वा नारायण वल्द किसना जाति चमार के नाम जैली काश्तकार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम सनोरिया तहसील सूनेल की भू प्रबंध विभाग कि मिलान क्षे0 के अवलोकन से जाहिर है कि हाल खसरा न0 317 साबिक खसरा न0 162 से बना हुआ है। सेटलमेंट विभाग संयुक्त राजस्थान राज्य कोटा की जमाबंदी संवत 2003 के अवलोकन से जाहिर है कि खसरा न0 162 खाता मकबुजा सरकार दर्ज था। गैरखातेदार अप्रार्थीगण द्वारा भी किसी प्रकार का आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया है अतः स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा भूमि आवंटन सलाहकार समिती के आवंटन आदेश के बिना ही प्रार्थी सरकार की वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को परिवर्तित कर नारायण वल्द किसना जाति चमार की गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकॉर्ड की मूल प्रविष्टियों मे बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तन

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

करने का कोई अधिकार नही है। यह भी स्थापित किया है कि कोटा राज्य के जैली काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। प्रार्थी तहसीलदार एवं हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरिक्षक हेमडा की रिपोर्ट दिनांक 29.07.2025 के अनुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर गैर खातेदार अप्रार्थी गण का वर्षो से कब्जा काश्त नही होकर अन्य लोगो का कब्जा है। धारा 136 एल आर एक्ट के अधीन सेटलमेंट विभाग द्वारा अविधिक रूप से की गई प्रविष्टियों या त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सकता है।

8. राजस्व (ग्रुप 6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प. 9(225) राज–6/07/38 दिनांक 20.11.2007 के अनुसार यदि भू प्रबंधन प्रक्रिया के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भू प्रबंध के दौरान हुयी त्रुटियों को धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही दर्ज कर दर्ज गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत किया जाये एवं नियमानुसार निर्णय किया जाकर गलत रूप से इंद्राज कि गई गैर खातेदारी की प्रविष्टि को हटाने की कार्यवाही की जावे।

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 217 रकबा 0.0379 है. के संबंध में राजस्व रिकार्ड में सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी के इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

–::क्रियात्मक आदेश::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

10. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 217 रकबा 0.0379 है. की खातेदारान की

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान प्रविष्टि को दुरूस्त कर पुनः खाता सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

11. यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/03/2026

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner